कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः–1105 / FP/UK/ROAD/10120/2015 देहरादूनः दिनांकः 30 सितम्बर, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना कीमू मोटर मार्ग (7.00 किमी0) के निर्माण हेतु 2.45है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/10120/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार) 30/9/16
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/10120/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0लो0नि0वि0, कपकोट।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना कीमू मोटर मार्ग (7.00 किमी0) के निर्माण हेतु 2.45है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/ROAD/10120/2015**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर में 1.05है0 राजस्व वनभूमि एंव 1.4है0 पंचायत भूमि अर्थात कुल 2.45 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः

तिथि : 30 / 09 / 2016

स्थान : देहरादून